# फर्द अहकाम

## कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– आणंदीबाई

विपक्षी :– भगवान

पत्रावली संख्या : 137 / 17

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक 10.02.2018

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत 2018 में तलब की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। मूल वाद में बंटवाडे पर सहमत होने से मूल वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के लिए सहमत हैं। अतः प्रकरण में मौके पर शान्ति व्यवस्था कायमी हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

### –: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी न. 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3224 कुल किता 6 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण [अंतिम डिक्री] तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली